न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 साधना शर्मा, आरए0ए0एस0

प्रकरण संख्या–49 / 2023 आरसीएमएस पॉर्टल नम्बरः– 2023 / 239

उनवानः–

रामबाबू पुत्र श्री नारायन सिंह जाति गुर्जर निवासी कुसैंडा कला जसूपुरा तहसील मनियां जिला धौलपुर

——————————————————————————वादी

बनाम

1. अंगूरी पत्नि गोपाल
2. रनवीर पुत्र सूबेदार
3. रमा पुत्र होतीराम
4. रामसनेही पत्नि रामबाबू

   जातिगण गुर्जर निवासीगण कुसैडा कला जसूपुरा तहसील मनियां
5. जयसिंह पुत्र कुम्हेरसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम जसूपुरा तहसील मनियां जिला धौलपुर
6. उप पंजीयक मनियां
7. तहसीलदार मनियां वहैसियत लैण्ड होल्डर

——————————————प्रतिवादीगण

दावा वास्ते बटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति – श्री योगेश शर्मा, एडवोकेट, वादीया की ओर से

दिनांक 28.03.2025

निर्णय

वादी की ओर से वाद वास्ते बटवांरा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि आ0ख0नं0 1660 रकवा 1.9094 है0 वाके ग्राम कुसैंडा कला पटवार हल्का जसूपुरा तहसील मनियां जिला धौलपुर विवादित आराजी है। विवादित आराजी में 119 / 264 भाग का वादी अभिलिखित खातेदार काश्तकार है तथा काबिज होकर फसल प्राप्त कर रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 विवादित आराजी में सामूहिक रूप से 145 / 264 भाग के खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजी वादी एंव प्रतिवादीगण की अविभाजित कृषि भूमि है। लेकिन अब प्रतिवादीगण के मन में बदनीयति आ चुकी है तथा वे वादी को विवादित आराजी से बेदखल करना चाहते है तथा आबादी से लगे भू–भाग पर अवैध

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

व पुख्ता निर्माण करना चाहते है। अतः विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी को विवादित आराजी से बेदखल न करें, काश्त करने से न रोके एंव सडक से लगे कीमती भू–भाग पर अपना अवैध पुख्ता निर्माण न करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से किसी के उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 ग्राम कुसैडा कलां तहसील मनियां पेश की।

वकील वादी को एकपक्षीय रूप से सुना जाकर पत्रावली का अवलोकन करने उपरान्त दावा वादी दिनांक 16.08.2024 को प्रारभिंक डिक्री किया जाकर प्रकरण में विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किये जाने के आदेश दिए गए तथा तहसीलदार धौलपुर से मुताबिक आदेश विभाजन प्रस्ताव तलब किए गए।

तहसीलदार धौलपुर से विभाजन प्रस्ताव उनके पत्रांक 1128 दिनांक 29.11.2024 से प्राप्त हुए। विभाजन प्रस्ताव पर वादी के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादी के अभिभाषक ने विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नही की तथा दावा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किये जाने का कथन किया।

वादी के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनने उपरान्त विभाजन प्रस्ताव एंव पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजो का अवलोकन किया। विभाजन प्रस्ताव वादी व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में तैयार किए गए है। प्रतिवादीगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुए है ना ही वादी अथवा प्रतिवादीगण की ओर से विभाजन प्रस्तावों कें सबध में कोई आपत्ति पेश की है। अतः हम दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजी ख.नं. 1660 रकवा 1.9094 है0 वाके ग्राम कुसैंडा तहसील मनियां जिला धौलपुर का निम्नानुसार खातेदारों के मध्य विभाजन कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव व उसके साथ संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकवा (है0)
1.	अंगूरी पत्नि गोपाल जाति गुर्जर सा.देह खातेदार	1660/1	0.2122
2.	रनवीर पुत्र सूबेदार जाति गुर्जर सा0देह खातेदार	1660/2	0.1400
3.	रमा पुत्री होतीराम जाति गुर्जर सा0देह खातेदार जयसिंह पुत्र कुम्हेरसिंह हि0 20/111 जाति ठाकुर सा0 जसूपुरा	1660/3	0.1592
4.	रामबाबू पुत्र नारायनसिंह हि0 68/111 रामसनेही पत्नि रामबाबू हि0 23/111 जति गुर्जर सा0देह खातेदार	1660/4	1.398

राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार इन्द्राज किये जाकर खाता एंव लगान पृथक–पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आराजीयात के लगान के 20 गुणा पर देय मुद्रांक शुल्क के स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर